81

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या: लो.नि. ए-बी(2)1/94 शिमला-2 तारीख 25-4-97

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिये इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-I, राजपत्रित भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां: (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 1-58/69-पी. डब्ल्यू. डी. तारीख 9.8.73 द्वारा अधिसूचित की हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट असिस्टेन्ट इंजिनियर (मैकेनिकल) पद के लिए भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम-2(1) के अधीन निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाही इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

रवि ढींगरा
वित्तायुक्त एवम् सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः लो. नि. ए- बी(2)1/94 शिमला-2 तारीख 25-4-97
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

3. नियन्त्रक मुद्रण एवम् लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु । उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाएं ।

4. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-5.

5. मुख्य अभियन्ता, (उत्तर), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, धर्मशाला ।

6. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या 1-4/71-पी.एस.सी.-पार्ट-V तारीख 30.4.96 के सन्दर्भ में ।

7. महालेखाकार, हि०प्र० शिमला-3.

8. उप सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

9. सहायक विधायी पारुपकार(हिन्दी-III) विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2.

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध-"क"

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), (राजपत्रित वर्ग-I) के पद के लिए भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम :	सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक)
2.	पदों की संख्या :	29 (उनतीस)
3.	वर्गीकरण :	वर्ग-I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान : (विस्तृत रूप में अंकित करें)	(i) मूल वेतनमान रु. 2200-70-2550-75-3000-100-4000. (ii) रु. 3000-100-4000-125-4500 यह वेतनमान सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा या 31.3.91 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवा के पूरा होने पर दिया जाएगा। (iii) रु. 3700-100-4000-125-5000-150-5300 यह वेतनमान सहायक अभियन्ता के रूप में 18 वर्ष की नियमित सेवा या 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवा के पूरा होने पर दिया जाएगा।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु :	45 वर्ष या इससे कम।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों, सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस पद में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

-2/-

टिप्पण :- (i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें की पद भरने को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथा स्थिति विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	(क) अनिवार्य :- किसी केन्द्रीय / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य की स्नातक उपाधि। (ख) वांछनीय अर्हताएं :- हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयु :- लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं :- लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशिष्ट परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	30% सीधी भर्ती द्वारा तथा 70% प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा	निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा :- (i) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), जिनका ग्रेड में 7 वर्ष का नियमित या (31.3.91 तक की गई) तदर्थ सेवा को शामिल करके, कुल नियमित सेवाकाल हो और जिनके कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) जिनका 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या (31.3.91 तक की गई) तदर्थ सेवा को शामिल करके ग्रेड में कुल सेवाकाल हो ----------50% (ii) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), जिसने कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में सेवाकाल के दौरान ए.एम.आई.ई. की उपाधि या उसके समतुल्य प्राप्त की हो, जिनका ग्रेड में 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31.3.91 तक की गई) तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके कुल नियमित सेवाकाल हो ----------10%

(iii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के समय सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि या इसके समकक्ष रखते हों, जिनका ग्रेड में 3 वर्ष का नियमित या (31.3.91 तक की गई) लगातार तदर्थ सेवा को शामिल करके एक नियमित सेवाकाल हो ----------10%

प्रोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर होगा:-

प्रथम पद	कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा/ निर्देश
दूसरा पद	--प्रोन्नति--
तीसरा पद	सीधी भर्ती
चौथा पद	कनिष्ठ अभियन्ता/ ए.एम.आई.ई.
पांचवा पद	कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा/ निर्देश
छठा पद	सीधी भर्ती
सातवां पद	कनिष्ठ अभियन्ता स्नातक
आठवां पद	कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा/ निर्देश
नौवां पद	सीधी भर्ती
दसवां पद	कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा/ निर्देश

और यह रोस्टर प्रत्येक दसवीं रिक्ति के पश्चात् दोहराया जाएगा।

टिप्पणः- (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवा काल के लिए इन शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी:-

कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, तो उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवम् प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.3.91 तक की गई सभी सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी।

परन्तु 31.3.91 तक सभी सेवा की गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना	विभागीय प्रोन्नति समिति बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा निर्देशित सदस्य द्वारा की जाएगी।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है:- (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगाण्डा, युनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पहले तन्जानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जैरे और इथोपिया से, भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है: परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही, दिया जाएगा।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा; पाठ्यक्रम, इत्यादि आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. अनुबंध:

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार/ [illegible] अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/ पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा :

(1) सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित होगी, अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा:-

(I) आगामी वेतन दक्षतारोध पार करने के लिए,
(II) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् की स्थाईकरण के लिए, और
(III) अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किये जाने से पूर्व, किन्तु नियमों के अधीन पूर्णतः या अंशतः परीक्षा-1 पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी,

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए, इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व, कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए, इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, उससे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी,

(I) आगामी वेतन दक्षतारोध पार करने के लिए, और

(II) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थाईकरण के लिए ।

2. किसी अधिकारी से अपनी पदोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर पदोन्नति पर विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उसने निम्नतर पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पारित कर ली है

	सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट मंजूर कर सकेगी, परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य न हो।
18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

P.g. 8-9 — 97 Copy of English version Rules removed & sent to HPPSC on 22/9/08

(1)

Authoratative English Text of this Department Notification No.PBW(A)B(2)1/94 dated_________ as required under clause(3) of Article of 348 of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

No.PBW(A)B(2)1/94 Dated:Shimla-2.the 25-4-97

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India. the Governor Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission. is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted)in the Himachal Pradesh Public Works Department as per Annexure "A" attached to the Notification. namely:-

Short title and commencement:	(1)	These Rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department Assistant Engineer(Mechanical) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules. 1997.
	(2)	These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.
Repeal and Savings:	2(1)	The Recruitment and Promotion Rules in respect of the posts of Assistant Engineers (Mechanical) Himachal Pradesh. Public Works Department notified vide this Department Notification No.1-50/69-PWD. dated 9.8.73 are hereby repealed.
	(2)	Notwithstanding such repeal. any appointment made or anything done or any action taken under these rules.so repealed under sub- rule (1) supra. shall be deemed to have been validly made or done or take under these rules.

By order

F.C. cum-Secretary (PW) to the
Govt.of Himachal Pradesh.

Endst. No.PBW-1(3)2/78, Dated:Shimla-2.the 25-4-97

Copy for information:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Heads of Department. H.P.
3. The Controller, H.P. Printing & Stationery Govt.Press. Shimla-5 for publication in the Rajpatra and to supply copy of the same.
4. Engineer-in-Chief.HP.PWD Shimla-1.
5. The Chief Engineer (North) HP.PWD Dharamsala.
6. The Secretary, H.P. Public Service Commission.Shimla-2
7 The Accountant General. H.P. Shimla-3.
8. The Joint Secretary (Personnel) to the Govt., of H.P. Shimla-2.
9. A.L.D.(Hindi). Law Deptt. H.P. Shimla-2.

Under Secretary (PW) to the
Govt. of Himalchal Pradesh.

ANNEXURE

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE ASSISTANT ENGINEER (MECHANICAL (GAZETTED CLASS-I IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the post	Assistant Engineer (Mech.)
2. Number of the posts:	29 (Twenty nine)
3. Classification:	Class-I(Gazetted)
4. Scale of pay:	(i) Basic entry pay scale Rs.2200-70-2550-75-3000 -100-4000. (ii)Rs.3000-100-4000-125-4500 This scale shall be awarded after the completion of 8 years of regular service or regular combined with continous adhoc (rendered upto 31.3.91) service as AE (Mech.). (iii)Rs.3700-100-4000-125-5000 -150-5300. This scale shall be given after completion of 18 years of regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service as AE (Mech.).
5. Whether selection post or Non- Selection post:	Selection
6. Age for direct recruitment:	45 years and its below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

--2--

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servents.This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

NOTE: (i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits:	(a) Essential qualification:- Must possess degree in Mechanical Engineering or its equivalent from an Institution/University recognised by the central / state Govt. (b) Desirable qualification:- Knowledge of customs' manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees.	i) Age: NA Educational Qualification: NA
9. Period of probation, if any :	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

30% by direct recruitment and 70% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst:-

(i) Junior Engineer (Mech.) having 7 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade and unqualified Junior Engineer (Mech.) with 15 years regular service or regular combined with cotinuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade. 50%

(ii) Junior Engineer (Mech.) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Mech.) having 3 years regular service or regular combined with continuos adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade. 10%

(iii) Junior Engineer (Mech.) who possess degree in Mech. Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Mech.) having 3 years regular service or regular combined with continuos adhoc (rendred upto 31.3.91) service in the grade. 10%

The roster for filling up of the posts by direct recruitment and by promotion will be as under:-

Point No.	Category
1st Post	J.E.Dip./unqualified
2nd Post	J.E.Dip./unqualified
3rd Post	Direct
4th Post	J.E./AMIE
5th Post	J.E.Dip./unqualified
6th Post	Direct
7th Post	J.E.Graduate
8th Post	J.E.Dip./unqualified
9th Post	Direct
10th Post	J.E.Dip./unqualified

and the roster will be repeated after every 10th vacancy.

In all cases of promotion the adhoc service rendered the feeder post upto 31.3.91, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that in all the cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis up to 31.3.91) in the feeder post in view of the provisions referred to above all person senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration ;

Provided that all incumbments to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion .

Explanation:- The last proviso shall not rendered the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior

(9) 5

ineligible persons happened to be exserviceman recruited under the provisions of rule-3 of Demobilised armed forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Techenical Services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post upto 31.3.91. if any,prior to the regular appointment against such post shall be taken into acccount towards the length of service :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered upto 31.3.91 shall remain unchanged :

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition :

The DPC is to be presided over by ~~As may be consituted by the Government from time to time.~~ the chairman of H.P.P.S.C. or a member there of to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.

As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment :

A candidate for appointment to any service or post must be :

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Nepal, or
(c) a subject of Bhutan, or

--6--

(d) a Tibetian refugee who came over to India before Ist January 1962 with the intention of permanently settling in India.

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan. Burma. Shri-Lanka. East African Countries of Keneya. Uganda the United Republic of Tanzania (Formerly Tanzanyika and Zanzibar). Zambia. Malwa. Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (b),(c),(d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by appointing authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligiblity certificate has been issued to him by the Govt. of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment :

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if HP. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary and expediant by a written test or practical test the standard/ syllabus, etc of

which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation :

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/ Scheduled Tribes / Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination:-

(1) Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules,1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:-

(i) Cross the efficiency bar next due.

(ii) Confirmation in the service even after completion of probationery period, and

(iii) Promotion to the next higher post;

Provided that an officer who has qualified the Departmental Examination in whole or in part prescribed under any rules before the noitification of these Rules shall not be required to qualify the whole or in part of the examination as the case may be:

provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the Notification of these Rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March,1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination

prescribed under these rules. Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the notification of those Rules and who had not attained the age of 45 years on 1.3.1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under the rules after attaining the age of 50 years for the purpose of (i) Crosing the Efficiency Bar next due, and (ii) Confirmation in the service after completion of the probationery period.

(2) An officer on promotion to higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service commission. grant in exceptional circumstances and for reason to be recorded in writing: exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons from the Departmental part provide that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

18. Power to Relax :

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

सं. पी. बी. डब्ल्यू. -ए-बी(2)-1/94 दिनांक, शिमला-2 19-11-99

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हि. प्र. लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम जो कि विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.4.97 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध के अनुसार सहर्ष संशोधन करने के आदेश करते हैं।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1999 है।

2. ये नियम राजपत्र, हि. प्र. में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा

वित्तायुक्त एवं सचिव (लो. नि.),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: पी. बी. डब्ल्यू. ए-बी(2)-1/94 शिमला-2 तारीख 19-11-99
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-1.
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक), हि. प्र. लोक निर्माण विभाग, शिमला-9.
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग
5. महालेखाकार, हि. प्र. शिमला-3.
6. नियन्त्रक मुद्रण एवम् लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 2 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाएं।
7. सचिव, हि. प्र. लोक सेवा आयोग, शिमला-2.
8. सहायक विधायी प्रारूपकार (हिन्दी) विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2.

उप सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संलग्नक

लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) वर्ग-I (राजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में संशोधन

पद का नाम: सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक)

संलग्न संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.	पदों की संख्या: 29 (उन्तीस)	पदों की संख्या: 26 (छब्बीस)
4.	वेतनमान i) रू. 2200-70-2550-75-3000--100-4000. ii) रू. 3000-100-4000-125-4500 यह वेतनमान सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में 8 साल की नियमित सेवा या 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा के उपरान्त देय होगा। iii) रू. 3700-100-4000-125-5000-150-5300. यह वेतनमान सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में 18 साल की नियमित सेवा या 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा के उपरान्त देय होगा।	वेतनमान रू. 7880-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500 (जो कि रू. 8000/- से शुरू होगा) (प्रवेश वेतनमान)
11.	नियम 11 के नीचे वर्तमान प्रावधान निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा:- (I) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) जिनका ग्रेड में 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल और अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) जिनका ग्रेड में 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो:- ....50% (II) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में अपने सेवाकाल के दौरान ए.एम.आई.ई. या इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो या जिनका ग्रेड में 3 साल का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो:- 10%	नियम 11 के नीचे संशोधित प्रावधान निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा:- (I) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) जिनका ग्रेड में 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो और अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) जिनका ग्रेड में 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो:- ....50% (II) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में अपने सेवाकाल के दौरान ए.एम.आई.ई. या इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो या जिनका ग्रेड में 3 साल का नियमित सेवाकाल या 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो:- 10%

(स्पष्टीकरण) :- आन्तम [illegible] के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी पदोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्म्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स-सर्विस मैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।	(स्पष्टीकरण [illegible] के अन्तर्गत [illegible] पदोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विस मैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, स्थायीकाल के लिए गणना में ली जाएगी :	(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.3.98 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, स्थायीकाल के लिए गणना में ली जाएगी । बशर्ते कि सम्भाग पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवम् पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो ।
परन्तु 31.3.91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।	परन्तु 31.3.98 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

(हस्ताक्षर)
उप सचिव (का. नि.)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Department Notificiation No.PBW(A)B(2)1/94, dated 19-11-99 as required under Clause (s) of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

....

No.PBW-(A)B(2)1/94 Dated:Shimla-2,the 19-11-99

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and all powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission is pleased to make amendments in the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Engineer (Mechanical), Class-I-Gazetted in the H.P. Public Works Department as per Annexure, notified vide this department Notification of even number dated 25.4.97.

Short title and commencement:

(i) These Rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Mechanical) (Class-I-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1999.

(ii) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

FC-cum-Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No.PBW(A)B(2)1/94 Dated:Shimla-2,the 19-11-99
Copy for information and necessary action is forwarded to:-

1. The Engineer-in-Chief, HP,PWD Shimla-1.
2. All the Chief Engineers in HP.PWD.
3. All the SEs.
4. The Accountant General, H.P. Shimla-3.
5. The Controller, Printing and Stationery H.P., Govt. Press Shimla-5 for publication in the rajpatra.
6. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
7. ALD (Hindi) Law Deptt. H.P. Sectt. Shimla-2.
8. Spare copies 20.

Deputy Secretary (PW) to the
Govt. of Himachal Pradesh

ANNEXURE

Amendments to Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Engineer (Mechanical) in H.P. Public Works Department.

Name of post: Assistant Engineer (Mechanical)

Col.No.	Existing Provision.	Revised Provision
2.	Number of the posts: 29 (Twenty nine)	2. Number of the posts: 26 (Twenty six)
4.	Scale of pay:	4. Scale of pay:
(i)	Basic entry pay scale Rs. 2200-70-2550-75-3000-100-4000.	Rs. 7880-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500 with a start of Rs. 8000/- (entry scale)
(ii)	Rs. 3000-100-4000-125-4500 This scale shall be awarded after the completion of 8 years of regular service or regular combined with continous adhoc (rendered upto 31.3.91)service as an AE(Mech.)	
(iii)	Rs. 3700-100-4000-125-5000-150-5300. This scale shall be give after completion of 18 years of regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service as an AE(Mech.)	

Existing provision against Rule-11	Revised provision against Rule-11
By promotion from amongst:-	By promotion from amongst:-
(i) Junior Engineer (Mech. having 7 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade and unqualified Junior Engineer (Mech.) with 15 years regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade. 50%	(i) Junior Engineer (Mech.) having 7 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade and unqualified Junior Engineer (Mech.) with 15 years regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade. 50%

	(ii) Junior Engineer (Mech.) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Mech.) having 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade. 10%	(ii) Junior Engineer (Mech.) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Mech.) having 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade. 10%
	(iii) Junior Engineer (Mech.) who possess degree in Mech. Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Mech.) having 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade. ... 10%	(iii) Junior Engineer (Mech.) who possess degree in Mech. Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Mech.) having 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service in the grade. ... 10%
1.(1)	In all cases of promotion, the adhoc service rendered in the feeder post upto 31.3.1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition:-	(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post upto 31.3.1998, if any, prior to regular appointment to the the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that:
(i)	that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total	(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service

length of service (including the service rendered on adhoc basis upto 31.3.1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post /cadre shall be deemded to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;	(including the service rendered on adhoc basis upto 31.3.1998, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemded to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, which ever is less;	Provided that all incumbents to be considered to be considered for promotion shall also possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.	Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the persons(s) junior to him shall also deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.	EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 . Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all case of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post upto 31.3.1991, if any. prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered upto 31.3.1991 shall remain unchanged.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post upto 31.3.1998, if any, prior to the regular appointment /promotion had shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered upto 31.3.1998 as referred to above shall remain unchanged.

Deputy Secretary (PW) to the
Govt. of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार,
लोक निर्माण विभाग

25

संख्या पी.बी.डब्ल्यू.(ए)–ए(3)–1/2005 तारीख : शिमला–2, 5 अगस्त, 2005

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.बी.डब्ल्यू.–ए–बी(2)–1/94 तारीख 25.4.97 द्वारा अधिसूचित और अधिसूचना संख्या पी.बी.डब्ल्यू.–ए–बी(2)–1/94 तारीख 19.11.99 तथा संख्या पी.बी.डब्ल्यू.–ए–ए(3)–1/2005 तारीख 26.4.2005 द्वारा संशोधित, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) वर्ग–1 (राजपत्रित) तकनीकि सेवायें भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) वर्ग–1 (राजपत्रित) तकनीकि सेवायें भर्ती एवम् प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध "क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध "क" में,–

1. स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"27 (सत्ताईस)"

2. स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा–

(i) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) में से, जिनका 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या तदर्थ में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 7 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो और अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) में से, जिनका कम से कम 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल या तदर्थ में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 15 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

50%

(ii) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) में से

–2–

जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) अपने सेवाकाल के दौरान ए.एम.आई.ई. या इसके समतुल्य उपाधि प्राप्त की हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या खंड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

.....10%

(III) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से जिनको धारा कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के रूप में नियुक्ति के समय मैकेनिकल इन्जीनियरिंग या इसके समतुल्य स्नातक की उपाधि प्राप्त हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या खंड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

.....10%

सीधी भर्ती द्वारा और प्रोन्नति द्वारा पदों को भरने के लिए रोस्टर निम्न प्रकार होगा, अर्थात :—

बिन्दु संख्या	प्रवर्ग (श्रेणी)
प्रथम पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
द्वितीय पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
तृतीय पद	सीधी भर्ती
चतुर्थ पद	ए.एम.आई.ई. कनिष्ठ अभियन्ता
पांचवा पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
छठा पद	सीधी भर्ती
सातवां पद	स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता
आठवां पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
नौवां पद	सीधी भर्ती
दसवां पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता

रोस्टर प्रत्येक 10वीं रिक्ति के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक की दी गई प्रतिशतता तक सभी प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात रिक्ति उस प्रवर्ग से भरी जाती है जिसमें पद रिक्त होता है

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में मूल पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु उन सभी पदधारियों को, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा /समझे जाएंगे।

-- 3/--

स्पष्टीकरण— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि उससे वरिष्ठ व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों, या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(3) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- "किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।"

(4) स्तम्भ संख्या 16 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- "सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगा।"

(5) स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- "सेवा में, प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित परीक्षा पास करनी होगी।"

आदेश से,

प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या : उपर्युक्त   तारीख: शिमला-2, 5 अप्रैल, 2005

प्रतिलिपि प्रेषित है:-

1. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-2।
2. सम्बद्ध मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2।
4. संयुक्त सचिव (कार्मिक/वित्त/विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी-III), विधि विभाग शिमला-2।
6. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 को असाधारण राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
7. गार्ड फाईल।

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(AUTHOTATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.PBW-A-A(3)-1/2005 DATED..................AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSITITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department.

No. PBW-A-A(3)-1/2005 Dated :-Shimla-2, the 5th August, 2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Mech.) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 1997 notified vide this Department notification number PBW-(A)B(2)-1/94, dated 25.4.97 and further amended vide this department notifiction number PBW-(A)B(2)-1/94, dated 19.11.99 and No.PBW-A-A(3)-1/2005, dated 26.4.2005, namely:-

Short title and commencement. 1. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mech.) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (Third amendment) Rules, 2005.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-"A" 2. In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mech) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997;

(a) For the existing provision against Col.No.2, the following shall be substituted namely:-

"27 (Twenty Seven)"

(b) For the existing provision against Col.No.11, the following shall be substituted namely:-

i) Junior Engineer (Mech.) having 2 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade and unqualified Junior Engineer

-2/-

(Mech) with 15 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

......50%

ii) Junior Engineer (Mech.) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Mech.) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade.

......10%

iii) Junior Engineer (Mech.) who possess degree in Mechanical Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Mech.) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade.

......10%

The roster for filling up of the posts by direct recruitment and by promotion will be as under:-

1st post	JE Dip/Unqualified
2nd post	---do---
3rd post	Direct
4th post	JE AMIE
5th post	JE Dip/Unqualified
6th post	Direct
7th post	JE Graduate
8th post	JE Dip/Unqualified
9th post	Direct
10th post	JE Dip/Unqualified

(The roster will be repeated after every 10th vacancies till the representation to all the categories is achieved upto the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post).

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the

-3/-

adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after

proper selection and is a[illegible] with the provision of the R&P Rules.

"Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above, shall remain unchanged."

(c) For the existing provision against Col.No.14, the following shall be substituted namely:-

"A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

(d) For the existing provision against Col.No.16, the following shall be substituted namely:-

"The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time."

(e) For the existing provision against Col.No.17, the following shall be substituted namely:-

"Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the HP Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time."

By Order

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst.No. PBW-A-A(3)-1/2005 Dated : Shimla-2, the [illegible] August, 2005

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Engineer-in-Chief, HPPWD Shimla-171001.
2. All the Chief Engineers, HP,PWD.
3. All the Superintending Engineers/Executive Engineers, HP,PWD.
4. The Secretary, HP,PSC, Shimla-2.
5. Joint Secretary (Personnel/Finance/Law), Govt. of H.P., Shimla-2.
6. The Accountant General, HP Shimla-3.
7. Sr.Law Officer (Hindi), Law Deptt. HP Sectt., Shimla-2.
8. The Controller, Printing and Stationery, HP Govt. Press, Shimla-5 for publication in the HP Rajpatra. He is requested to supply five copies of the Rajpatra to this Department.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

(15)

(AUTHRITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.PBW-A-A(3)-1/2005 DATED 26.04.2005 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE-348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

....

No.PBW-A-A(3)-1/2005. Dated: Shimla-2, the 26th April, 2005.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mech.) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 1997 notified vide this department notification No.PBW-A-B(2)-1/94, dated 25.4.1997 and further amended vide this department notification No.PBW-A-B(2)-1/94, dated 19.11.99; namely:-

Short title and commencement	1.	(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mech) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2005.
		(ii)	These rules shall come into force with immediate effect.
Amendment of Annexure-"A"	2.		In annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mech) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion, Rules, 1997, for the existing provision against Column No.10, the following shall be substituted; namely:- "Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods."

By Order

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

o/c

Endst.No.PBW-A-A(3)-1/2005 Dated: Shimla-2, the 26th April,2005

Copy for information and necessary action to:-

1. The Engineer-in-Chief, HP,PWD Shimla-1.
2. All the Chief Engineers, HP,PWD.
3. All the Superintending Engineers/Executive Engineers, HP,PWD.
4. The Secretary, HP, PSC, Shimla-171002.
5. Joint Secretary (Personal/Finance/Law), HP Sectt., Shimla-2.
6. The Accountant General, HP Shimla-3.
7. Sr.Law Officer (Hindi), Law Department, HP Sectt., Shimla-2.
8. The Controller, Printing and Stationery, HP Government Press, Shimla-5 for publication in the Rajpatra, HP. He is requested to supply five copies of the Rajpatra to this Department.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्याःपी.बी.डब्ल्यू. ए ए (3) 1/2005 तारीख : शिमला 2, 14-9 — ,2006

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0डी0डब्ल्यू0 ए0 बी0(2) 1/94 तारीख 25.4.1997 द्वारा अधिसूचित और इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.डी.डब्ल्यू–ए–बी–(2)–1/94 तारीख 19–11–1999 तथा संख्या पी.बी.डब्ल्यू–ए–ए–(3)–1/2005 तारीख 28–4–2005 द्वारा संशोधित, हिमाचल प्रदेश प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए और संविदा नियुक्ति के लिए करार के प्रारूप उपाबन्ध–"ग" के अनुसार निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2006 है।
	(2)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
उपाबन्ध "क" का संशोधन।	2.	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध "क" में:–
	1.	स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:–
		(क) "30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से; और
		(ख) 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।"
	2.	स्तम्भ संख्या 15 के बाद, निम्नलिखित नया उपबन्ध 15–क निविष्ट किया जाएगा, अर्थात:–
	15–क	संविदा के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए चयन और नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें :–

(क) संविदा के आधार पर चयन सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ख) प्रमुख अभियन्ता (इन्जीनियर इन चीफ) भरने के लिए, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को दो अग्रणी समाचार पत्रों में उसे विज्ञापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को अपेक्षा आधार पर बढ़ाया जायेगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के कार्य, आचरण और कार्यकुशलता के उच्च स्तर के अध्यधीन और बढ़ाया जाएगा। परन्तु उनकी सेवायें संविदा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व एक मास का नोटिस जारी करके या नोटिस के बदले में एक मास का वेतन देकर यदि उनकी सेवाएं कार्य की अनुपलब्धता के कारण अपेक्षित नहीं है, समाप्त की जा सकेगी, जिसके लिए पहले आया अन्त में जाएगा (फर्स्ट कम लास्ट गो) के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाएगा। उनकी सेवाएं संविदा के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी यदि उनका आचरण और कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, जिसके लिए सुनवाई का सम्यक अवसर दिए जाने के लिए नोटिस दिया जाएगा।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को नियत परिलब्धियां जो कि पद का मूल वेतन+मंहगाई वेतन/भत्ता जो भी सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाएं, संदत्त की जाएंगी।

(ङ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ड)(i) नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए भागी है यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

(ii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

(iii) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति में रहते ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नहीं होगा।

(iv) संविदा के आधार पर नियुक्तियां कठिन और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यालय प्रमुख ([illegible]) में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार की जायेंगी। संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि संविदा का नवीकरण, यदि कोई हो, तो नए व्यक्ति की नियुक्ति प्रशासनिक आधारों पर किसी अन्य स्थान या कार्यालय में की जा सकती है।

(v) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जायेगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जायेगा।

(vi) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, अभ्यर्थी को यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(vi) नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के चयन के पश्चात् उसे विभाग द्वारा यथा अधिकथित समय-समय पर यथा संशोधित इन नियमों से उपाबन्ध "क" के रूप में संलग्न करार हस्ताक्षरित करना होगा।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः पी.बी.डब्ल्यू.-ए-ए-(3)-1/2005 तारीख : शिमला-2, 14-9-,2006
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-2।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2।
5. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (वित्त/कार्मिक/विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. वरिष्ठ विधि अधिकारी (विधि शाखा विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2।
7. नियन्त्रक, मुद्रण एवम लेखा सामग्री विभाग, शिमला-5 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु तथा राजपत्र की 20 प्रतियां इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

अवर सचिव (लोक निर्माण विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध "क"

सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी ...., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, (जिसे इसमें इसके पश्चात 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के मध्य आज तारीख.. को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया (अनुबन्ध किया) है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दे दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के रूप में .... से प्रारम्भ होने और .... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को नियत परिलब्धियां जो कि पद का मूल वेतन+महंगाई वेतन या जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, संदत्त की जाएंगी।

3. इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

4. नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी है यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति होने की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्तियां कठिन और जन-जातीय क्षेत्रों में या अधिक रिक्तियों से रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार की जाएंगी। संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि संविदा के नवीकरण, यदि कोई हो, के समय व्यक्ति की नियुक्ति प्रशासनिक आधारों पर किसी अन्य स्थान के कार्यालय में की जा सकती है।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान यात्रा अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर
(प्रथम पक्षकार)

2) नियोक्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्षकार)

स्थान..........

दिनांक..........

गवाह

1)...

....

2)...

....

(Authoritative English text of this department notification No.PBW-A-A(3)-1/2005, dated 14-9-2006 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

No.PBW-A-A (3)-1/2005 Dated: Shimla-2, the 14th September, 2006.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer(Mechanical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this department notification No.PBW-A-B(2)-1/94 dated 25-4-1997 and further amended vide this department notification No.PBW-A-B(2)-1/94 dated 19-11-1999 and No.PBW-A-A (3)-1/2005 dated 26-4-2005 and 5-8-2005 and Agreement Bond for contract appointment as Annexure-A to this notification namely:-

Short title and Commencement 1. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mechanical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (Fourth amendment) Rules, 2006.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-"A" 2. In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer(Mechanical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997

(a) For the existing provision against Col. No. 10 the following shall be substituted, namely;-

i) 30% By direct Recruitment or on contract basis and through the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission; and

ii) 70% By Promotion.

3. (a) For the existing provisions against Col. No.15-a the following shall be substituted, namely:-

5-A Selection for appointment to post on contract basis and terms and conditions of appointment:

a) Selection on contract basis shall be made by the concerned recruiting agency i.e. the HP Public Service Commission.

b) The Engineer-in-Chief, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place requisition with H.P. Public Service Commission for advertising the same in two leading news-papers and invite application from the candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

c) Candidate selected for appointment on contract basis will be initially appointed for one year which will be extended depending upon requirement of the services of such appointees and further subject to high standard of work conduct and performance of such appointees. However, their services may be terminated even prior to the completion of contract period by issuing of one month notice or payment of one month wages in lieu of the notice if their services are not required due to non availability of work for which principle of first come last go shall be followed. Their services may also be terminated during the contract period if their conduct and performance is not found satisfactory for which notice with due opportunity of being heard shall be given.

d) Contract appointees shall be paid fixed emoluments per month as Basic Pay + Dearness Pay of the post or as prescribed by the Govt. from time to time.

e) Contract appointees so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

(i)(i). The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

ii) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

iii) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

iv) Contract appointments will be made against vacant posts in difficult and tribal areas or the office jobs as per requirement. Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another. However, at the time of renewal of contract if any, such appointee can be appointed at different place or office on administrative grounds.

v) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will be considered temporarily unfit till the confinement is over. The Women candidates will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practioner.

vi) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular staff members.

vii) After selection of a candidate for appointment, he shall have to sign an agreement as laid down by the department attached as Annexure "A" to these Rules or as amended from time to time.

By Order,

Subhash C. Negi
Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.:PBW-A-A (3)-1/2005 Dated:Shimla-2, the 7/11 September, 2006.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Engineer-in-Chief, HP PWD, Shimla-171001.
2. All the Chief Engineer, HP PWD.
3. All the Superintending Engineers/Executive Engineers, HP PWD.
4. The Secretary, HP.PSC, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
5. The Additional /Joint Secretary (Fin./ Personnel/Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
6. The Senior Law Officer (Law-Official language)), Law Deptt, H.P. Shimla-2.
7. The Controller, Printing & Stationery, H.P. Government Press, Shimla-5 for publication in the Rajpatra and supplying 5 copies of the same to this department.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-A

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ASSISTANT ENGINEERS (MECHANICAL) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this .... day of .... in the year .... between Smt./Sh.......................................S/o/D/o Sh...resident of ....

contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh (hereinafter SECOND PARTY);

WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Engineer (Mechanical) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Engineer (Mechanical) for a period of 1 year commencing on day of .... and ending on the day of .... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on.......................... and information notice shall not be necessary.

2. Contract appointees shall be paid a initial of the pay scale + dearness allowance per month or as shall be fixed by the State Government from time to time.

3. Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

4. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

5. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

6. Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

Contract appointments will be made against vacant posts in difficult and tribal areas or the office jobs as per requirement. Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another. However, at the time of renewal of contract if any, such appointee can be appointed at different place or office on administrative grounds.

--0--

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will be considered temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practioner.

9. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular staff members.

Place: ____________

Dated ____________

1. Signature of the Contract Appointee
(First Party)

2. Signature of appointing authority
(Second Party)

Witness

1.) ______________________

2.) ______________________

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्याःपी0डब्ल्यू0–ए–ए(3)–1/2005–1 तारीख शिमला–9, 19 जुलाई, 2010.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः पी0डब्ल्यू–ए–बी(2)–1/94 तारीख 25–4–1997 द्वारा अधिसूचित और समय समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (पंचम संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध–"क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध–"क" में,–

(क) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा–

i) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से, जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से, जिनका पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

... पचास प्रतिशत।

ii) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के रूप में सेवाकाल के दौरान ए0एम0आई0ई0 या

इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो और जिसका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

..... दस प्रतिशत।

iii) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) में से, जिसका कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के रूप में नियुक्ति के समय यांत्रिक इंजीनियरिंग में उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो और जिसका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

..... दस प्रतिशत।

सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 20 बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:-

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/ अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
दूसरा पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/ अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
तीसरा पद	सीधी भर्ती
चौथा पद	ए.एम.आई.ई. कनिष्ठ अभियन्ता
पांचवा पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/ अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
छटा पद	सीधी भर्ती
सातवां पद	स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता
आठवां पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/ अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
नौवां पद	सीधी भर्ती
दसवां पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/ अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता

(रोस्टर प्रत्येक 10वीं रिक्ति के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ है।)

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो।

(78)

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I:- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II:- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीश परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के कठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पोषक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

(79)

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः— अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक हैं, जिसे डिमोबोलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,

(डा० पी०सी०कपूर)
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं०: यथोपरि। तारीख शिमला–2, 19 जुलाई, 2010

1. समस्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. प्रमुख अभियन्ता, हि०प्र० लोक निर्माण विभाग, शिमला–2
3. प्रमुख अभियन्ता (रूपांकण एवं गुणवत्ता), हि०प्र० लोक निर्माण विभाग, शिमला–2
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिविल/विद्युत/यान्त्रिक हि०प्र०।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, हि०प्र० लोक निर्माण विभाग, शिमला–2
6. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन, हि०प्र० शिमला–5, हिमाचल प्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन हेतु।
7. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. अतिरिक्त प्रतियां (50)

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Authoritative English Text of this department Notification No.PBW-A-A(3)-1/2005 dated ..19-7-2010.. as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department.

No. PBW-A-A(3)-1/2005 dated Shimla-2, the 19 th July, 2010.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mechanical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified vide notification No. PBW(A)B(2)-1/94 dated 25-4-1997and further amended from time to time, namely:-

Short title and Commence-ment	1 (i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mechanical), Class-I(Gazetted), Recruitment and Promotion (5th Amendment) Rules, 2010.
	(ii)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	2.	In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Mechanical), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997;
	(a)	For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted:- By promotion from amongst: i) Junior Engineer (Mechanical) having 7 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade and unqualified Junior Engineer (Mech.) with 15 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade. ......2/- ii) Junior Engineer (Mechanical) who acquire AMIE or its equivalent degree

(81)

during service as Junior Engineer (Mechanical) having 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade. ....10 %

iii) Junior Engineer (Mechanical) who possess degree in Mechanical Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Mechanical) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade. ....10 %

The roster for filling up of the posts by direct recruitment and by promotion will be as under:-

1st post	JE Dip/Unqualified.
2nd post	-do-
3rd post	Direct
4th post	JE AMIE
5th post	JE Dip/Unqualified.
6th post	Direct.
7th post	JE Graduate.
8th post	JE Dip/Unqualified
9th post	Direct.
10th post	JE Dip/Unqualified.

(The roster will be repeated after every 10th vacancies till the representation to all the categories is achieved up to the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post).

"Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post (s) available in such areas:

Provided further that the proviso supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation.

Provided further that Officer/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I: For the purpose of proviso supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Dorga Patwar Cirlces of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh and Sangna Patwar Ciries of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Cirlce of Shillai Tehsil in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra patwar Cirlce of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Shilh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Cirlce of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and Sought Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Cirlce of Sunder Nagar Tehsil in Mandi Distirct.

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the

83

preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation:-The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after following proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

BY ORDER

(Dr P.C.Kapoor)
Pr. Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above, dated Shimla-2, the 19 th July, 2010.
Copy forwarded to:
1. All the Secretaries to the Govt. of H.P.
2. The Engineer-in-Chief, HP PWD, Shimla-1.
3. The Chief Engineers, HPPWD.
4. The Controller, Printing & Stationary H.P. Shimla-5 for publication in H.P. Rajpatra.
5. The J.R-cum-Joint Secretary (Law) to the Govt. of H.P., Shimla-2.
6. Guard file.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.